(Authoritative English text of this Department Notification Number SMS-1/2014-15-RDD- dated 2nd December, 2014 as required under clause (3) of article 348 of the constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Rural Development Department

No. SMS-1/2014-15-RDD Dated : Shimla-9, the 2nd December, 2014

Notification

Whereas the draft Himachal Pradesh Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Payment of Unemployment Allowance) Rules, 2014, were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 17th July, 2014 for inviting objection(s) or suggestion (s) from the general public vide this Department Notification of even number dated 15th July, 2014 as required under the provision of sub-section (1) of section 32 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005;

And whereas, no objection or suggestion has been received in this behalf during the stipulated period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under clause (b) of sub-section (2) of section 32 of the aforesaid Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for carrying out the purposes of the aforesaid Act, namely :-

1. Short title and commencement.	1.(1) These rules may be called the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Himachal Pradesh (Payment of Unemployment Allowance) Rules, 2014, (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.	2. (1) In these rules unless the context otherwise requires; (a) "Act" means the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act,2005; (b) "Scheme" means the Himachal Pradesh Rural Employment Guarantee Scheme, 2006; and (c) Programme Officer, District Programme Coordinator and State Commissioner mean the officers notified as such by the State Government to discharge the duties and functions of the said posts under the Act/ Scheme/Rules. (2) All other words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning respectively as assigned to them under the Act.
3. Entitlement of unemployment allowance.	Unemployment allowance, under the Act, shall be as defined in sub-section (1) of section 7 of the Act whereby if any applicant for employment under the scheme is not provided such employment within fifteen days of receipt of his application seeking employment, or from the date on which the employment has been sought in the case of an advance application, whichever is later, he shall be entitled to a Unemployment Allowance.

4. Rate of unemployment allowance.	Unemployment Allowance shall be payable at the rate equal to one-forth of the wage rate notified under the Act, for the first thirty days during the financial year and equal to half of the wage rate notified under the said Act for the remaining period of the financial year in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 7 of the Act.
5. Essential conditions for claiming Unemployment Allowance.	(1) The applicant shall be registered in the "Register of Registration and Employment" and the Household shall possess a Job-card and the applicant shall be identifiable by an individual number in the job card. (2) The applicant shall apply for work and the application be registered in the Job/Employment Register.
6. Procedure for filing a claim.	(1) A person claiming Un-employment Allowance shall apply to the Panchayat Secretary at any time after he becomes entitled to receive the Un-employment Allowance under sub-section (1) of section 7 of the Act.
7. Procedure for verification of claim.	(1) On receipt of the application, the Panchayat Secretary shall make necessary enquiries of claims and if he is satisfied that the applicant is registered for employment under the Scheme and if entitled for payment of unemployment allowance, he shall forward the application to the Programme Officer along with his remarks. (2). The Programme Officer shall enquire into the matter and

	decide on the claim for payment of Unemployment Allowance. He shall issue an order indicating the actual days for which Unemployment Allowance is payable. (3) If the Programme Officer rejects the claim/ demand for Unemployment Allowance, he shall record the reasons for rejecting the same and intimate the same to the applicant in writing through the Panchayat Secretary.
8.Proceedure for payment of Unemployment Allowance.	(1). The Programme Officer shall make payment of unemployment allowance through the Panchayat Secretary of the concerned Panchayat. (2). Payment shall be made electronically / through an account payee cheque if payment is approved. (3). Every payment of Un-employment Allowance shall be made or offered not later than 15 days from the date on which it became due for payment in accordance with sub-section (5) of section 7 of the Act, (4). The Programme Officer shall meet the required expanses from the amount earmarked for the purpose by the Stat[illegible] Government. (5) The Gram Panchayat shall submit monthly statements to th Programme Officer regarding the payment of Unemploymen Allowance made by the Panchayat.
9. Appeal.	9. (1) In case the applicant is not satisfied with the order issue under sub-rules (2) and (3), of rule 7, he may file an appe against the order of the Programme officer to the Distri

		Programme Coordinator within thirty days from the date of receipt of the order.
	(2)	In case, the applicant is not satisfied with the order issued by the District Programme Coordinator, he may file an appeal to the State Commissioner within thirty days from the date of receipt of order, who shall dispose off the appeal within a period of one month from the date of filing of appeal and his decision thereon shall be final.

By Order/-

Principal Secretary (RD) to the,
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. As above. Dated: Shimla-171009 the 2nd December, 2014

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. All the Deputy Commissioners-cum-District Programme Coordinators(MGNREGA) in Himachal Pradesh.
2. All the Deputy Directors-cum-Project Officers, District Rural Development Agency in Himachal Pradesh.
3. All the District Panchayat Officers-cum-Secretary, Zila Parishad in Himachal Pradesh.
4. All Block Development Officers-cum-Block Programme Officers (MGNREGA) in Himachal Pradesh.
5. The Controller, Printing & Stationery Department, Himachal Pradesh, Shimla-171005 with the request that the above notification may kindly be published in Rajpatra (extra-ordinary).

~~Special Secretary~~ (RD)
to the Govt. of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

संख्या:एस0एम0एस0–1/2014–15–आर0डी0डी0 तारीख: शिमला–9, 2 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी (बेरोज़गारी भत्ते का संदाय) नियम 2014 का प्रारूप, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 32 की उप धारा (1) के उपबन्धों के अधीन तथा अपेक्षित, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 15 जुलाई, 2014 द्वारा जनसाधारण से आक्षेप (पों) और सुझाव/वों आमंत्रित करने के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 17 जुलाई, 2014 को प्रकाशित किया गया था;

और इस नियम अवधि के दौरान इस निमित्त कोई भी आपेक्ष/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश क़ी राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 32 की उप धारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	1(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी (बेरोज़गारी भत्ते का संदाय) नियम, 2014 है। (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
परिभाषाएं।	2.(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;– (क) "अधिनियम" से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है; (ख) "स्कीम" से हिमाचल प्रदेश रूरल इमप्लॉइमैन्ट गारंटी स्कीम, 2006 अभिप्रेत है; और (ग) "कार्यक्रम अधिकारी", "जिला कार्यक्रम समन्वयक" और "राज्य आयुक्त" से, अधिनियम/स्कीम/नियमों के अधीन उक्त पदों के कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करने वाले राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित अधिकारी अभिप्रेत हैं। (2) उन समस्त शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

बेरोज़गारी भत्ते का हकदार।	3: अधिनियम के अधीन बेरोज़गारी भत्ता वह होगा जो अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में परिभाषित है जिसके द्वारा यदि स्कीम के अधीन नियोजन के लिए किसी आवेदक को, नियोजन चाहने वाले उसके आवेदन की प्राप्ति के या उस तारीख से जिसको किसी अग्रिम आवेदन की दशा में नियोजना चाहा गया है, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हों, पन्द्रह दिन के भीतर ऐसा नियोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह बेरोज़गारी भत्ते का हकदार होगा।
बेरोज़गारी भत्ते की दर।	4. बेरोज़गारी भत्ता, अधिनियम के अधीन वित्तीय वर्ष के दौरान पहले तीस दिनों के लिए अधिसूचित मज़दूरी दर के एक चौथाई दर के बराबर और अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचित मज़दूरी दर के आधे के बराबर संदेय होगा।
बेरोज़गारी भत्ते का दावा करने के लिए अनिवार्य शर्तें।	5(1) आवेदक, "रजिस्ट्रीकरण और रोज़गार के रजिस्ट्र" में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और गृहस्थी(हाउस–होल्ड) जॉब–कार्ड धारित करेगा तथा आवेदक की जॉब कार्ड में वैयक्तिक संख्या द्वारा पहचान हो सकेगी। (2) आवेदक कार्य के लिए आवेदन करेगा और आवेदन को "जॉब/रोज़गार रजिस्टर" में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।
दावा दायर करने के लिए प्रक्रिया।	6. बेरोज़गार भत्ते का दावा करने वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन बेरोज़गारी भत्ते को प्राप्त करने हेतु हकदार होने के पश्चात् किसी भी समय पंचायत सचिव को आवेदन करेगा।
दावा को सत्यापित करने के लिए प्रक्रिया।	7(1) पंचायत सचिव, आवेदन की प्राप्ति पर, दावों की आवश्यक जांच करेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक स्कीम के अधीन रोज़गार हेतु रजिस्ट्रीकृत है तथा यदि बेरोज़गारी भत्ते संदाय हेतु हकदार है, तो वह अपनी टिप्पणियों सहित आवेदन को कार्यक्रम अधिकारी को अग्रेषित करेगा। (2) कार्यक्रम अधिकारी मामले की जांच करेगा और बेरोज़गारी भत्ते के संदाय के लिए दावे पर विनिश्चय करेगा। वह, वास्तविक कार्य दिवसों जिसके लिए बेरोज़गारी भत्ता संदेय है, को उपदर्शित करते हुए आदेश जारी करेगा।

	(3) यदि कार्यक्रम अधिकारी, बेरोज़गारी भत्ते के दावे/मांग को नामंजूर करता है तो वह उसको अस्वीकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा तथा उसे पंचायत सचिव के माध्यम से लिखित में आवदेक को सूचित करेगा।
बेरोज़गारी भत्ते के संदाय के लिए प्रकिया।	8(1) कार्यक्रम अधिकारी बेरोज़गारी भत्ता का संदाय सम्बद्ध पंचायत के पंचायत सचिव के माध्यम से करेगा। (2) संदाय, यदि अनुमोदित है, तो इलैक्ट्रॉनिकली/पाने वाले के खाते में देय चैक के माध्यम से किया जाएगा। (3) बेरोज़गारी भत्ते का प्रत्येक संदाय, उस तारीख से, जिसको वह अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अनुसार संदाय के लिए देय हो जाता है, पन्द्रह दिन के अपश्चात् किया जाएगा या प्रस्थावित किया जाएगा। (4) कार्यक्रम अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए निश्चित की गई रकम से अपेक्षित व्ययों की पूर्ति करेगा। (5) पंचायत द्वारा किये गये बेरोज़गारी भत्ते के संदाय से सम्बन्धित मासिक विवरणियां ग्राम पंचायत कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत की जाएंगी।
अपील।	9(1) यदि आवेदक का नियम 7 के उपनियम (2) और (3) के अधीन जारी आदेश से समाधान नहीं होता है, तो वह कार्यक्रम अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर जिला कार्यक्रम समन्वयक को अपील दायर कर सकेगा। (2) यदि आवेदक का जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी आदेश से समाधान नहीं होता है, तो वह आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर राज्य आयुक्त को अपील दायर कर सकेगा, जो अपील दायर करने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा तथा उस पर उसका विनिश्चिय अंतिम होगा।

आदेश द्वारा/—
प्रधान सचिव(ग्रामीण विकास),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि। तारीखः शिमला–171009 2 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त उपायुक्त एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक(मनरेगा), हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त जिला पंचायत अधिकारी एवं सचिव, जिला परिषद, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी(मनरेगा), हिमाचल प्रदेश।
5. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171005 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किया जाए।

विशेष सचिव(ग्रामीण विकास),
हिमाचल प्रदेश सरकार।